किस्म मुकदमा......धारा 111,128 RLR Act अनवान–बागसिंह वगैरा बनाम तहसीलदार समदडी वगैरा मु.नं. 116/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या प्रतिवादी संख्या 2 से 5,7, 12 से 15,22,23,34,37, के वकील उपस्थित, शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। विप्रार्थीगण वकील जबाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है अतः विप्रार्थीगण वकील का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द किया जाता है। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम समदडी तहसील समदडी की खसरा संख्या 1454/243,1429/243 व 1430/243 रकबा क्रमशः 00.2266,00.1781 व 00.0647 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को 2000/– रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना [illegible] र्दनं [illegible]त करे तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.07.29 16:12:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2024 / 338 दिनांक : 10.07.2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
बागसिंह पुत्र जालमकरण वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं 116 / 2022 दिनांक :– 08.07.2024

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम समदडी तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 1454 / 243,1429 / 243 व 1430 / 243 रकबा क्रमशः 00.2266,00.1781 व 00.0647 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 / –प्रार्थीगण अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाडमेर)

कमांकः वाचक / 2024 / 339-342 दिनांक : 10.07.2024

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी समदडी को तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी बागसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत निवासी समदडी स्टेशन तहसील समदडी जिला बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Bhangarot
Date: 2024.07.29 16:12:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाडमेर)